

3

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF
THE CRIMINAL
CODE, 1898**

In the court of कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

प्रकरण क्रमांक 50/18

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

name, parentage, caste and address of accused-

1. सुरेश कुशवाह पुत्र रामकिशन उम्र 35 वर्ष
निवासी- वार्ड क0 7 कस्बा मौ जिला भिण्ड म0प्र0

The offence complained of, and date of its alleged
commission ----

आप घटना दिनांक 26.01.2018 को 21:05 बजे वार्ड क0 7 कस्बा मौ
जिला भिण्ड में अंक लिखे सट्टे की पर्चीयों के आधार पर रुपये पैसे की हारजीत का
दाव लगवाकर सट्टा खेला।

तुम्हारा उक्त कृत्य 4 (क) सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के तहत दंडनीय
अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान विचारण के तहत है तुम दोषी होने का
अभिवाक करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

PA JMF

The plea of the accused and his examination [if any]--
आरोपी का अभिवाक-

सुरेश कुशवाह

सुरेश

PA
19/3/18
प्रतिष्ठा अवस्थी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला-भिण्ड-म.प्र.

The offence proved, if any in, case under clause (d),
clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of
section 260, the value of the property in respect of which the
offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 19.03.2018 को घोषित किया गया)

1. आरोपी/आरोपीगण द्वारा सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध की विशिष्टिया पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है। आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
2. आरोपी/आरोपीगण द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी/आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम की धारा 4 (क) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड में व्यक्तिम होने पर 5 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दण्डित किया जाता है।
3. प्रकरण में जप्तशुदा 455/- रुपये राजसात किये जाते हैं तथा अन्य सामग्री सट्टे की पर्ची एवं दो पेन मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे।
4. आरोपी स्वतंत्र हों।

स्थान-गोहद

दिनांक-19/3/18

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित किया गया

RA

19/3/18

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेल हाउस, गोहद
जिला- सिविल (म.प.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

RA

19/3/18

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेल हाउस, गोहद
जिला- सिविल (म.प.)